राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2025 / 33
राजस्व वाद संख्या—13 / 2025
दायर दिनांक— 27.03.2025
निर्णय दिनांक—03.09.2025

उनवानी—

1. ग्यारसी देवी पत्नि रूघनाथ जाति जाट निवासी ग्राम पींगलोद तह0 रूपनगढ़

—प्रार्थिया

बनाम

1. जगदीश जाट पुत्र गंगाराम जाति जाट
2. लक्ष्मण जाट पुत्र गंगाराम जाति जाट
3. हनुमान पुत्र गंगाराम जाति जाट
4. तेजसिंह दत्तक पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत
5. श्योजीसिंह पुत्र गाविन्द सिंह जाति राजपूत
   सर्वनिवासी ग्राम तित्यारी, तहसील रूपनगढ़
6. रूघनाथ पुत्र रामनारायण जाति जाट नि0 ग्राम पींगलोद तह0 रूपनगढ़
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान—भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति—:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया की ग्राम तित्यारी पटवार हल्का पींगलोद भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 88 क्षेत्रफल 1.9068 है0 भूमि प्रार्थिया के नाम एकल खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वाद वर्णित कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की पड़ोसी खातेदार होने के कारण पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। प्रार्थिया की एकल खातेदारी की कृषि भूमि की नींव, सींव, मेड़ को लेकर अप्रार्थीगण व्यवधान कारित करते है। प्रार्थिया की वाद वर्णित खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 की भूमि स्थित है। उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की भूमि स्थित है इसलिये इन्हें पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थिया ने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौका पर्चा दिनांक 27.04.2023 को तेयार किया गया था जिससे प्रार्थिया संतुष्ट नहीं है। प्रार्थिया अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करती चले आ रही है प्रार्थिया जब 05.03.2025 को अपने खेत की देखरेख करने करने गये तव अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने गाली गलोच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि ब्लात कब्जा करने की धमकी दी और कहा तुझे खेती करने का अधिकार नहीं है इसलिये प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हआ है। प्रार्थिया की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा नक्शा ट्रेस मौके पर काविज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थिया व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थिया की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थिया की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तित्यारी के ख0न0 88 क्षेत्रफल 1.9068 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)